न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्रसिंह चांदावत, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 5/2025

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

प्रार्थी–
1. कालाराम पुत्र शिवजीराम जाति भील निवासी भूणिया तहसील धनाउ जिला बाड़मेर
2. बिलाल पुत्र बादल जाति मुसलमान निवासी भूणिया तहसील धनाउ जिला बाड़मेर

अप्रार्थीगण–
1. सरपंच, ग्राम पंचायत भूणिया
2. सोहनलाल पुत्र श्री तेजाराम जाति विश्नोई निवासी लछिये का तला, तहसील धनाउ जिला बाड़मेर
3. आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर जरिये उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पुत्र जीवराज जाति माहेश्वरी निवासी सुन्दर नगर चौहटन जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 11 दिनांक 02.10.2024 जो ग्राम पंचायत भूणिया द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री महेन्द्र कुमार रामावत एवं श्री संजय सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अम्बालाल जोशी, श्री देवीलाल कुमावत एवं श्री कुमार कौशल जोशी , अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 02.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत भूणिया के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 02.10.2024 के विरूद्ध दिनांक 20.02.2025 को प्रस्तुत किया गया हैं।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत भूणियां द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भूणियां की आबादी भूमि में पट्टा संख्या 11 दिनांक 02.10.2024 जारी किया गया। ग्राम पंचायत भूणियां द्वारा उक्त पट्टा जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की आपत्ति पर दिनांक 04.04.2025 को आदेश पारित उक्त पत्रावली को चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया गया। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में पिटीशन प्रस्तुत की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त पिटीशन को स्वीकार कर आदेश दिनांक 28.05.2025 पारित कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मेरिट पर निर्णय किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 20.06.2025 को पत्रावली अभिलेख से बरामद की गई।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत भूणियां का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने अधिवक्ता पक्षकारान को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भूणियां में आबादी भूमि खसरा नंबर 633/463 रकबा 1.6187 हैक्टेयर आया हुआ है। इस भूमि के चारों तरफ ग्राम पंचायत ने दीवार बना रखी है व अन्दर ग्राम पंचायत का अनाज भण्डार बना हुआ है व शेष भूमि वर्तमान में खाली है जहां पर झाड़िया वगैरह उगी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 02.10.2024 को आबादी भूमि का पट्टा दिया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 07.02.2025 को अप्रार्थी संख्या 03 को जरिये बक्शीशनामा भूमि दे दी गई है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे से सम्बंधित सम्पूर्ण कार्यवाही निगरानी प्रार्थना प्रस्तुत करने के पश्चातवर्ती की गई है जो पूर्णतः विधि विरुद्ध है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत धारा 157(1) के अंतर्गत पट्टा उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जब उस व्यक्ति का कब्जे की भूमि पर करीब 50 साल पुराना मकान हो। यदि उक्त कब्जे की जमीन पर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मकान नहीं है तो पट्टा अवैध माना जाता है। आवेदनकर्ता के साथ अन्य 12 व्यक्तियों को 30X90 फीट के पट्टे पंचायत द्वारा एक ही दिन में जारी किए गए हैं। उक्त पट्टों के संबंध में आवेदन पत्र के साथ फीस व नक्शा होना चाहिए, जो कि नहीं है। मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा जो मौका रिपोर्ट बनाई गई है वह केवल कागजी कार्यवाही के रूप में की गई है, मौके पर किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया गया है। सन् 2014 में आम जनता भूणिया द्वारा एक दावा पेश किया गया था जिसकी मौका रिपोर्ट में उक्त जमीन पर बबूल के पेड़ व झाडियां बताई गई थी, जो यह विरोधाभाष पैदा करता है कि उक्त पट्टाधारी का कब्जा पिछले 50 सालों से नहीं था। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में किए गए बक्शीसनामा में मकानों का कोई हवाला नहीं दिया गया है। उक्त पट्टे के साथ 12 अन्य पट्टों के आवेदन एक ही तिथी में पंचायत के समक्ष रखे गए एवं करीब 03 महीने बाद उक्त जमीन का बेचान एक साथ कर दिया जाता है, जो कि कहीं न कहीं संशय की स्थिति पैदा करता है। इसके साथ ही किसी गांव की आबादी भूमि में किसी विद्यालय का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सरपंच द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अप्रार्थी सं. 2 के नाम कूट रचना कर पट्टा जारी करवाया गया हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियमों की घोर अनदेखी की गई हैं, जिससे आलौच्य पट्टा खारिज योग्य हैं।

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भूणियां की आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है। ग्राम पंचायत भूणियां द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा सं. 11 दिनांक 02.10.2024 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम पंचायत भूणियां द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत भूणियां की ओर से भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति द्वारा मौतबिरान के समक्ष निरीक्षण किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नही होने से यह

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी का यह कथन भी सरसर असत्य हैं कि आलौच्य पट्टे की कार्यवाही पश्चातवर्ती तिथि में कूटरचना द्वारा की गई हैं जबकि पूर्ववर्ती सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर मौका स्थल निरीक्षण करवाया गया तथा नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। उक्त भूखण्ड के पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 07.02.2025 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 02 ने पट्टासुदा संपूर्ण भूमि भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा प्रदाता अप्रार्थी संख्या 03 को आदर्श विद्या मंदिर के निर्माण हेतु जनहित में निःशुल्क बक्शीश की है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 03 का आधिपत्य चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि किसी मकान का आशय किसी मकान के पक्के निर्माण से नहीं किसी झूपा से भी हो सकता है इसके साथ ही निगरानीकर्ता का उक्त आलोच्य पट्टे से कोई हितबद्ध नहीं है एवं अप्राथीगण को परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन हैं कि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत भूणिया का जागरूक नागरिक है। ग्राम पंचायत भूणियां में आबादी भूमि खसरा नंबर 633/463 रकबा 1.6187 हैक्टेयर आया हुआ है। इस भूमि के चारों तरफ ग्राम पंचायत ने दीवार बना रखी है, अन्दर ग्राम पंचायत का अनाज भण्डार बना हुआ है व शेष भूमि वर्तमान में खाली है जहां पर झाड़िया वगैरह उगी हुई है। ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 02.10.2024 को आबादी भूमि का पट्टा दिया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 07.02.2025 को अप्रार्थी संख्या 03 को जरिये बक्शीशनामा भूमि दे दी गई है। अधिवक्ता प्रार्थी का यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे से सम्बंधित सम्पूर्ण कार्यवाही निगरानी प्रार्थना प्रस्तुत करने के पश्चातवर्ती की गई है जो पूर्णतः विधि विरुद्ध है। इसके साथ ही उक्त पट्टे के संबंध में आवेदन पत्र के साथ फीस व नक्शा होना चाहिए, जो कि नहीं है। मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा जो मौका

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रिपोर्ट बनाई गई है वह केवल कागजी कार्यवाही के रूप में की गई है, मौके पर किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नियमानुसार कोई शुल्क जमा नहीं करवाया है जिसके अभाव में पट्टा अवैध है। इस संबंध में न्यायिक निर्णय नजीर 2012 3 DNJ 1399 प्रस्तुत की जिसमें बिना शुल्क जारी पट्टा को अवैध माना गया है। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियमों की घोर अनदेखी की गई हैं, जिससे आलौच्य पट्टा खारिज योग्य हैं। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम पंचायत भूणियां द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा सं. 11 दिनांक 02.10.2024 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम पंचायत भूणियां द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत भूणियां की ओर से भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति द्वारा मौतबिरान के समक्ष निरीक्षण किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नहीं होने से यह पट्टा जारी किया गया हैं। उक्त भूखण्ड के पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 07.02.2025 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 02 ने पट्टासुदा संपूर्ण भूमि भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा प्रदाता अप्रार्थी संख्या 03 को आदर्श विद्या मंदिर के निर्माण हेतु जनहित में निःशुल्क बक्शीश की है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 03 का आधिपत्य चला आ रहा है। अतः निगरानीकर्ता का यह प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत भूणियां के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने पुराने कब्जे के विनियमितिकरण हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.09.2024 को प्रस्तुत होने पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन को रजिस्टर में इन्द्राज कर आगामी पंचायत बैठक में प्रस्तुत करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी भूणियां को निर्देशित किया। इसकी पालना में दिनांक 05.09.2024 स्थल निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशिका लिखी गई हैं। इसके पश्चात दिनांक 20.09.

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2024 की बैठक में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस जारी किया गया। आगामी बैठक दिनांक 01.10.2024 को प्रस्ताव सं. 05 पारित करते हुए नियमानुसार शुल्क राशि 200/- जमा करने पर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया हैं। जहां तक शुल्क जमा का प्रश्न है तो पंचायत द्वारा शुल्क जमा होने की दशा में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया है। ऐसे में शुल्क दिनांक 01.10.2024 को जमा होने पर आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार समस्त कार्यवाही पंचायत की आम बैठक में नियमानुसार सम्पन्न हुई हैं, ऐसे प्रार्थी का यह कथन भी मानने योग्य नहीं हैं कि आलौच्य पट्टा पश्चातवर्ती रूप से कूटरचना द्वारा जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत भूणियां द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 11 की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्रसिंह चादांवत)
अति० जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)